भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3099

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है

कोयला और लिग्नाइट खनन कंपनियों के विरूद्ध शिकायतें

3099. श्री हनुमान बेनीवालः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले दस वर्षों में राजस्थान में कोयला और लिग्राइट खनन/उत्पादन कार्य में लगे सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों/उपक्रमों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों संबंधी ब्यौरा क्या है और कंपनियों/उपक्रमों के नाम क्या हैं तथा वे किस-किस जिले में स्थित हैं;

(ग) सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर कंपनियों/उपक्रमों के विरुद्ध अब तक की गई कार्रवाई का कंपनीवार/उपक्रमवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का कोयला और लिग्राइट उत्पादन में प्रचालनरत निर्धारित मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रही सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई करने का विचार है, यदि हां, तो अपेक्षित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और ऐसी कार्रवाई किए जाने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : पिछले दस वर्षों के दौरान राजस्थान में कोयला उत्पादन और लिग्नाइट खनन/उत्पादन से जुडे सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों/कंपनियों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख), (ग) और (घ) : उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****